

न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. रविकुमार सुरपुर, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या:- 21/2018

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थीगण
1- श्रीमती पपुदेवी पत्नी मोहनलाल जाति नाई निवासी अधरशिला के पास, जालोरियों का बास, नागौरी गेट के अन्दर, जोधपुर।		1- मोहनलाल पुत्र तुलसीराम जाति नाई निवासी अधरशिला के पास, जालोरियों का बास, नागौरी गेट के अन्दर, जोधपुर 2- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध नामान्तरकरण सं० 467 आदेश दिनांक 19.08.1995 जो तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वीकार किया गया, को निरस्त करने बाबत

उपस्थिति :-

आदेश दिनांक 23.07.2018

- 1- श्री जयराम बोरणा अधिवक्ता (अपीलार्थीपक्ष)
- 2- श्री मोहनलाल पत्यर्थीपक्ष-एक स्वयं
- 3- प्रत्यर्थीपक्ष-2 ईत्तला बावजूद अनुपस्थित।

:- आदेश -:

अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वाके ग्राम पूंदला तहसील जोधपुर स्थित ख.नं. 277/7 रकबा 7.10 बीघा भूमि में से कृषि भूखण्ड सं० 1 बनाप 46' X 70' यानि 357.77 वर्गगज भूमि पूर्व विक्रेता खातेदार पृथ्वीसिंह से रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 29.03.1994 को अपीलार्थीया पपुदेवी व जसराज पुत्र मोहनलाल दर्जी ने संयुक्त रूप से खरीद की गई, परन्तु उपरोक्त बेचाननामा के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण सं० 467 दिनांक 19.08.1995 मात्र जसराज के नाम से ही उक्त भूमि का तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वीकार कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील मीमों मय धारा 5, भा. मियाद अधिनियम प्रार्थना-पत्र पेश हुआ।

लगातार....

अपील मियाद बिन्दु शर्त के साथ दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये तथा मूल अभिलेख भी तलब किया गया। प्रत्यर्थी-एक (मोहनलाल) अजखुद उपस्थित हुआ तथा लिखित जबाब पेश किया। प्रत्यर्थी-2 का नोटिस बाद तामील लौटा। मूल नामान्तरण प्राप्त होने के पश्चात् अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं अजखुद उपस्थित प्रत्यर्थी-एक की बहस आज दिनांक 23.07.2018 को सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा कि वाके ग्राम पूंदला तहसील जोधपुर के खेत ख.नं. 277/7 रकबा 7.10 बीघा कृषि भूमि में कृषि भूखण्ड संख्या-एक बनाप बनाप 46' X 70' यानि 357.77 वर्गगज भूमि पूर्व विक्रेता खातेदार पृथ्वीसिंह से रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 29.03.1994 को अपीलार्थीया पपुदेवी व जसराज पुत्र मोहनलाल दर्जी ने संयुक्त रूप से खरीद की गई जिसकी फोटो प्रति पत्रावली के संलग्न है। बहस में आगे कहा कि रजिस्टर्ड खरीद की गई उक्त कृषि भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कराने के लिए हलका पटवारी को दिया गया, परन्तु राजस्व अधिकारियों की भूल से खरीदकर्त्ता 2 व्यक्ति होने के उपरान्त भी एक खरीदकर्त्ता श्री जसराज के नाम से ही अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकार किया गया जबकि अपीलार्थीया पपुदेवी के पक्ष में संयुक्त रजिस्टर्ड बेचान होने के कारण उसका नाम भी नामान्तरकरण में सम्मिलित करना चाहिए अतः अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकार करने में विधिक भूल हुई है, जो नामान्तरकरण निरस्त योग्य है। अपनी बहस में आगे बतलाया कि जसराज ने उपरोक्त भूखण्ड में अपने हिस्से की भूमि प्रत्यर्थी-एक (मोहनलाल) के पक्ष में दिनांक 25.10.2012 को रजिस्टर्ड बेचाननामा कर दिया गया अतः जसराज अब हितबद्ध व्यक्ति नहीं होने से मोहनलाल को ही पक्षकार बनाया गया। अपीलाधीन नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी जब प्रत्यर्थी-एक के पक्ष में बेचाननामा कराने उपपंजीयक कार्यालय जोधपुर गये तथा उन्होंने पूर्व में नामान्तरकरण होने की नकल मांगी गई, तब हलका पटवारी से नामान्तरकरण की नकल के आवेदन कर प्रमाणित प्रति प्राप्त की गई, तब हुई। अपीलार्थीया की ओर से उस समय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के समक्ष अपील पेश कर दी गई परन्तु सुनवाई के क्षेत्राधिकार के अभाव के कारण उपखण्ड अधिकारी जोधपुर ने अपील पुनः लौटाये जाने पर इस न्यायालय में अपील पुनः प्रस्तुत की गई अतः अपील में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील स्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त कर अपीलार्थीया का नाम भी नामान्तरकरण में सम्मिलित किये जाने का आदेश दिया जाय।

प्रत्यर्थीपक्ष-एक अजखुद उपस्थित हुआ तथा जबाब पेश करते हुए अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अपील में वर्णित तथ्यों की प्रत्यर्थीपक्ष-एक की स्वीकारोक्ति होने एवं प्रस्तुत संलग्न दस्तावेज से स्पष्ट है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण में वर्णित विवादित भूमि का रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 31.03.1994 जो जसराज पुत्र मोहनलाल दर्जी एवं

लगातार...

अपीलार्थीया पपुदेवी पत्नी मोहनलाल दर्जी की संयुक्तरूप से खरीदसुदा है, परन्तु राजस्व कर्मचारियों की भूल से नामान्तरकरण में मात्र जसराज का नाम ही इन्द्राज किया गया, जो विधिक भूल हुई है अतः अपील में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है तथा अपील स्वीकार करते हुए अपीलाधीन नामान्तरकरण अपीलार्थीया एवं जसराज की खरीदसुदा भूमि बनाप 46' X 70' यानि 357.77 वर्गगज भूमि सीमा तक निरस्त किया जाता है। प्रकरण की पुनः सुनवाई के लिए तहसीलदार जोधपुर को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थीया एवं प्रत्यर्थीपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण का निस्तारण 2 माह में किया जाय। आदेश की प्रति के साथ मूल नामान्तरकरण पुनः तहसीलदार जोधपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सनाया गया।